



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय, जयपुर)
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

11

दो गज दूरी

मास्क है जरूरी

सावधानी ही सुरक्षा है।

क्रमांक एफ.80()ग्रावि/नरेगा/आईईसी/विविध/2021-22/पार्ट जयपुर, दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं

जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

08 DEC 2021

विषय:-भारत सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न पेंशन एवं बीमा योजनाओं के प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:-श्री रोहित कुमार, संयुक्त सचिव(महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र No. J-11060/01/2018-RE-VI (361692) दिनांक 08.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा संयुक्त सचिव(महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न पेंशन एवं बीमा योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए योजनाओं के प्रचार-प्रसार किये जाने व संबंधितों को अधिकाधिक लाभ प्रदान किये जाने संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न पेंशन एवं बीमा योजनाएँ जैसे अटल पेंशन योजना (APY) पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PMIJBY) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने पर बल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की अनुसूची-11 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
2. 5 वर्षों से अधिक समय से चलायी जा रही उक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने व कई बार पंजीकरण अभियान चलाये जाने के बावजूद भी गरीबों को अपेक्षा अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। पॉलिसी धारकों द्वारा योजनाओं में प्रीमियम का भुगतान एवं पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण भी उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
3. माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में, उपरोक्त योजनाओं के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित विभिन्न अवसरों जैसे - रोजगार दिवस, ग्राम सभा, प्रशिक्षण एवं बैठकों में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश जारी किये जावें। उक्त अवसरों पर लोगों को नामांकन फॉर्म वितरण करते हुए पेंशन/बीमा योजनाओं में नामांकन/ नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।
4. उक्त पेंशन/बीमा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत योजनाओं से संबंधित जानकारियों का टेम्पलेट संलग्न किया जा रहा है। जिन्हें जॉबकार्ड के पृष्ठ भाग पर मुद्रित करवाया जा सकता है अथवा अन्य माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार हेतु अपनाया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित कराते हुए पालना सुनिश्चित करावें।


संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(के. के. पाटक)

शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक(महात्मा गांधी नरेंगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त ईजीएस।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।


अधिशाषी अभियंता, ईजीएस



Rohit Kumar
Joint Secretary
(Mahatma Gandhi NREGA)
Tel : 23383553
Email: jsppm-mord@gov.in



ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110001
Date: - 08.11.2021

D.O. No. J-11060/1/2018-RE-VI (361692)

I. D. No. 2504/EGS/1
Date: 11/11/21

Dear Ma'am/Sir

As you are aware that Government of India has developed standard pension and insurance products for the poor, viz. Atal Pension Yojana (APY), PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for extending the extent of social protection and support available to the poor. A write up on the salient features of the schemes is attached herewith. It may be mentioned that all the beneficiaries of the Mahatma Gandhi NREGA are covered for ex-gratia payment as per the schedule -II of the Act and the amount entitled is as per the provision of Prime Minister Suraksha Bima Yojana .

2. Despite the availability of these products for over 5 years, the extent of coverage of the poor is still sub-optimal. AS a result, the social protection available to the poor is not fully being utilised, despite the fact that the premiums have been brought down to the rock bottom, enrollment process has been simplified and multiple rounds of recruitment into schemes have been organised from time to time. Because of lack of a positive reinforcement, many policy holders fail to pay the premia and renew the same.

3. Prime Minister gave a call to the nation to provide services to the poor on a saturation basis on the eve of the Independence Day this year. Our Ministry has joined hands with Deptt of Financial Services to ensure that coverage of the above schemes is saturated in the rural areas. Accordingly, all the programmes of MoRD are reaching out to their constituents for wide publicity of the schemes and mobilisation of the beneficiaries for the same.

4. In this regard, I request you to kindly issue necessary instructions for making wider publicity of the benefits of the above schemes in various fora related to Mahatma Gandhi NREGA including Rojgar Diwas, Gram Sabhas, trainings and other meetings relating to Mahatma Gandhi NREGA, posters and banners in GP Bhavan, worksites, e-MR and new job card also. The benefits of the schemes could be explained, people be encouraged to enroll and renew their coverage, enrollment forms could be provided and the next of kin helped to access/claim the benefits thereunder. Templates of messages including those on Job-card are attached herewith.

4. I am confident that such actions will make the beneficiaries aware about the benefit of such insurance scheme.

With regards,

Yours sincerely,


(Rohit Kumar)


Enclosure :- As above

The Principal Secretary/Secretary/Commissioners (in-charge of Mahatma Gandhi NREGA)
All States/UTs

Consent (PG)

R.No. 3486/EGS/1
Date: 18/11/21

Matter is related with publicity.
P& take n/a. CAD IEC


29.11.21

